

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(3)नविवि / सरदारशहर(चूरू) / 2016

जयपुर दिनांक: १५.०३.२०२२

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाए गए राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम-4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-7 के अनुसरण के तहत् यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.08.2018 सरदारशहर मास्टर प्लान-2036 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त सरदारशहर मास्टर प्लान-2036 की प्रति अवलोकन नगर पालिका, सरदारशहर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

14/3/2022
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, चूरू।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सरदारशहर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालवी।

11
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय